

क्रमांक 4214/61/2010

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक /05/2016

प्रति,


समस्त कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग,
..... (म0प्र0)

विषय :- साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिये प्रदत्त अधिकारों के संबंध में ।
संदर्भ :- इस कार्यालय का आदेश क्रमांक 4214/61/2010, दिनांक 22.09.2015 एवं
समसंख्यक पत्र दिनांक 02.05.2016

विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित आदेश दिनांक 22.09.2015 द्वारा साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिये एक वित्तीय वर्ष में एक संभाग के लिये राशि रु. 20.00 लाख निर्धारित की गयी है ।

एक वित्तीय वर्ष में संभाग को रु. 20.00 लाख की सीमा से अधिक राशि के साधारण मरम्मत के कार्य कराया जाना आवश्यक होने पर प्रस्ताव संलग्न प्रपत्र-206 पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ।

सहपत्र :- प्रपत्र-206



(एम0 जी0 चौबे)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग भोपाल


भोपाल, दिनांक /05/2016

पृष्ठांकन क्रमांक 4214/61/2010

प्रतिलिपि :-

- (1) समस्त मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश ।
- (2) समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल मध्य प्रदेश ।
- (3) वेब मैनेजर विश्व बैंक परियोजनायें भोपाल मध्य प्रदेश की ओर विभागीय वेबसाईड पर पत्र प्रकाशित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

सहपत्र :- प्रपत्र-206



(एम0 जी0 चौबे)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग भोपाल

'कुशावाहा'

6

प्रपत्र -206 (बजट 4214/61/2010)
वार्षिक अनुरक्षण मद में रू. 20.00 लाख से अधिक के कार्य की अनुमति हेतु जानकारी

1	जल संसाधन संभाग का नाम	—		
2	जिला	—		
3	रू. 20.00 लाख तक की सीमा में स्वीकृत कार्यों के नाम और राशि का विवरण संलग्न करें	—		
4	प्रस्तावित कार्य का संक्षिप्त विवरण एवं राशि (रू. लाख में)		कार्य	प्राक्कलित राशि
5	कार्य की आवश्यकता पर टीप	—		
6	अधीक्षण यंत्री का अभिमत	—		
7	मुख्य अभियंता का अभिमत	—		

कार्यपालन यंत्री

अधीक्षण यंत्री

मुख्य अभियंता